तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
29-08-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री वैभवकृष्ण पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1 हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपजिला कलक्टर, नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी/वादी ने विवादित आराजी बाबत् एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपजिला कलक्टर, नगर के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/प्रतिवादी की साक्ष्य का अवसर बंद कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय ने अपने आक्षेपित निगरानीधीन आदेश दिनांक 21–07–2003 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि प्रार्थीगण को यदि साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया तो वह अपना पक्ष साबित नहीं कर पायेगा। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार किसी पक्ष को अपना पक्ष रखने से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थीगण को न्यायहित में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के आदेश प्रदान किये जावे। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर निगरानीधीन आदेश को अपास्त कर साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का निवेदन किया है। 4 अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस निगरानी पर सुनी एवं उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। 5 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर प्रदान किये गये। लगातार कई तारीख पेशियों पर प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। तत्पश्चात उनके द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य बंद किये जाने के आदेश	

पारित किये। जिसे पुनः खुलवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे निगरानीधीन आदेश दिनांक 21–07–2003 से खारिज किया गया। यद्वपि निगरानीधीन निर्णय में कोई तात्विक त्रुटि नहीं है परन्तु नैसर्गिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इसी सिद्धान्त के आधार पर यह निगरानी 1000/– की कोस्ट राशी पर स्वीकार की जाती है। निगरानीधीन निर्णय दिनांक 21–07–03 को निरस्त किया जाता है। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। प्रार्थीगण दिनांक 26–09–25 को उपजिला कलक्टर, नगर के न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें। कोस्ट की राशि नियमानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी को प्रदान की जावे। प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय में नियत अधिकतम दो तारीख पेशियों पर साक्ष्य पेश करें अन्यथा साक्ष्य पूर्ववर्ती बंद समझी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख शीध्र लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य